समक्ष जे. वी. गुप्ता जे.

कालू-अपीलकर्ता

बनाम

तारलोकी नाथ और अन्य-प्रतिवादी

आदेश संख्या 17 ओजे 1982 से द्वितीय अपील।

30 मार्च 1984.

पंजाब भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम (1953 का X)- धारा 25 - हरियाणा लैंड होल्डिंग्स सीलिंग एक्ट (XXVI ओज 1972) - धारा 12 (3) और 18 - अधिशेष क्षेत्र की घोषणा करने वाले अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया आदेश - ऐसा क्षेत्र जिसमें निहित है धारा 12(3) के तहत राज्य सरकार - आदेश अपील योग्य है लेकिन कोई अपील नहीं की जा सकती - सिविल न्यायालय में ऐसे आदेश को चुनौती - चाहे वर्जित हो।

माना गया कि क्षेत्र को अधिशेष घोषित करने वाला पारित आदेश अपील योग्य था हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 18 के तहत और समय-समय पर उक्त अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले मुकदमे में उठाई गई सभी दलीलें अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाई जा सकती हैं जो उचित आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र था। जब तक आदेश क्षेत्राधिकार के बिना न हो, इसे सिविल मुकदमे के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि भूमि को अधिशेष घोषित किए जाने के बाद अधिनियम की धारा 12(3) के प्रावधानों और सिविल के अधिकार क्षेत्र के मद्देनजर यह राज्य सरकार में निहित हो गई। पंजाब भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 25 के प्रावधानों के आधार पर न्यायालय को रोक दिया गया था। (पैरा 3 और 5)।

श्री वी.एम. जैन, अपर जिला न्यायाधीश (एचआई) कुरूक्षेत्र के न्यायालय के द्वितीय अपील आदेश दिनांक 3 मार्च, 1982 ने श्री शिव शर्मा, एस.जे. को पलट दिया। तृतीय. सी. कुरूक्षेत्र, दिनांक 12 अगस्त, 1981 ने लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील को स्वीकार कर लिया, और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 12 अगस्त, 1981 के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया और मामले को फिर से तय करने के लिए इस मामले को वापस भेज दिया। कानून के अनुसार, गुण-दोष के आधार पर मुद्दे तय करने और पक्षों को अपने वकील के माध्यम से 11 मार्च, 1982 को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश देने के बाद।

एम. एस. जैन, श्री राजिंदर कृष्ण अग्रवाल, एडवोकेट और सुशील के साथ

गोयल, अधिवक्ता, अपीलकर्ता।

सी. बी. गोयल, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

निर्णय

जे. वी. गुप्ता, जे.

(1) यह आदेश एस.ए.ओ. का निस्तारण करेगा। क्रमांक 17 और नागरिक पुनरीक्षण याचिका 1982 का क्रमांक 1949 क्योंकि वे निचले स्तर के उसी निर्णय से उत्पन्न हुए हैं

अपीलीय न्यायालय, दिनांक 3 मार्च, 1982, जिसके तहत क्षेत्राधिकार के प्रारंभिक मुद्दे पर वादी के मुकदमे को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को योग्यता के आधार पर नए निर्णय के लिए भेज दिया गया।

(2) वादी-प्रतिवादियों ने घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया और इस आरोप पर कब्ज़ा कि वादी और एक विनोद कुमार प्रेम नाथ के बेटे थे। उक्त प्रेम नाथ एक बड़ा जमींदार था। 30 मानक एकड़ को आरक्षित क्षेत्र के रूप में छोड़ने के बाद, शेष भूमि को अधिशेष घोषित कर दिया गया। अपील पर, मामले को वापस भेज दिया गया और अंततः, 3 मई, 1978 के आदेश, प्रदर्शनी डी. 1 के तहत, विशेष कलेक्टर ने प्रेम नाथ के हाथों में अनुमेय क्षेत्र के रूप में 20 मानक एकड़ की अनुमति दी और शेष भूमि को अधिशेष घोषित कर दिया। . इस अवधि के दौरान भूमि को अधिशेष घोषित कर दिया गया, उसका उपयोग नहीं किया गया और उसके उत्तराधिकारियों के कब्जे में रही। पारिवारिक समझौते के माध्यम से, वादी को वाद के पैराग्राफ 6 में वर्णित भूमि मिल गई और 13 जून, 1958 को सिविल कोर्ट की डिक्री इस आशय की पारित कर दी गई। तभी से वे उसके मालिक थे. प्रेम नाथ, जिनकी 3 जून, 1976 को मृत्यु हो गई, के हाथों अधिशेष क्षेत्र घोषित करते समय उक्त पारिवारिक समझौते को प्रभावी नहीं किया गया। अधिशेष घोषित भूमि का उपयोग राज्य द्वारा नहीं किया जा सका; विशेष रूप से वह भूमि जो उन्हें सिविल कोर्ट डिक्री, दिनांक, 13 जून, 1958 के आधार पर मिली थी। इसलिए इस आशय की घोषणा के अनुदान के लिए वर्तमान मुकदमा कि आवंटन का आदेश, दिनांक, जुलाई, 31, 1978, प्रदर्शनी पी 13 और आवंटन प्रमाण पत्र दिनांक 8 अगस्त 1978 प्रदर्शनी पी-15 अवैध, अधिकारातीत और अधिकार क्षेत्र के बिना, और वाद भूमि पर कब्जे के लिए थे। इस मुकदमे का प्रतिवादियों ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर विरोध किया था कि मुकदमे पर विचार करने के लिए सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वर्जित किया गया था। भूमि को अधिशेष घोषित कर दिया गया था, यह राज्य सरकार में निहित थी और वादी का इससे कोई लेना-देना नहीं था। नतीजतन, ट्रायल कोर्ट ने प्रारंभिक मुद्दे को तय किया इसका प्रभाव यह होगा कि क्या सिविल न्यायालय को इस मुकदमे की सुनवाई का अधिकार है? यह निष्कर्ष निकाला गया कि हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) के प्रावधानों के मद्देनजर, अधिशेष घोषित भूमि के सभी व्यक्तियों के सभी अधिकार राज्य में निहित थे और इसलिए, यह था स्पष्ट है कि मुकदमे की सुनवाई के लिए सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पंजाब1भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 25 के तहत वर्जित किया गया था। परिणामस्वरूप, वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया था। अपील में, विद्वान अतिरिक्त जिला

न्यायाधीश ने विचार किया कि 30 जुलाई, 1958 से पहले किए गए भूमि के सभी हस्तांतरण कानूनी और वैध थे; और इसे प्रभावी किया जाना था और अधिनियम के तहत वाद भूमि राज्य सरकार में निहित नहीं होगी। इस प्रकार, निचली अपीलीय अदालत के अनुसार, कलेक्टर को अतिरिक्त भूमि के उपयोग के लिए योजना के तहत प्रतिवादी संख्या 3, यानी कालू, प्रतिवादी-अपीलकर्ता को आवंटित करके भूमि का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं था। नतीजतन, ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को उक्त प्रारंभिक मुद्दे के तहत उलट दिया गया और मामले को योग्यता के आधार पर नए निर्णय के लिए भेज दिया गया। इससे असंतुष्ट होकर प्रतिवादी-अपीलकर्ता कालू ने यह अपील दायर की है जबकि हरियाणा राज्य ने सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 1949/1982 दायर की है।

(3) आपके अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि भूमि को मूल रूप से 2 जून 1960 को प्रेम नाथ के हाथों अधिशेष घोषित किया गया था। उसी में से, 11 एकड़ 7 कनाल भूमि कालू, अपीलकर्ता को आवंटित की गई थी, आदेश के अनुसार, दिनांक, सितंबर 18, 1963, प्रदर्शनी पी. 3. तब से, वह उस पर कब्ज़ा कर रहा है। उक्त कब्जे के आधार पर, आदेश, दिनांक, 31 जुलाई, 1978; प्रदर्शनी पी. 13, मालिकाना अधिकार उसे प्रदान किए गए हैं; और उनके पक्ष में आवंटन का आवश्यक प्रमाण पत्र दिनांक 8 अगस्त 1978, प्रदर्श पी. 15 भी जारी कर दिया गया है। इस प्रकार, विद्वान वकील ने तर्क दिया, उक्त आदेश अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील योग्य थे, और वादी सिविल न्यायालय में वर्तमान मुकदमा दायर नहीं कर सकते थे। वर्तमान मामले में, अधिकार क्षेत्र केवल अधिनियम के तहत अधिकारियों में निहित है। विद्वान वकील के अनुसार, भले ही पारित आदेश अवैध थे, फिर भी इसे क्षेत्राधिकार के बिना नहीं कहा जा सकता है और इस तरह, सिविल कोर्ट के पास मुकदमे की सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। दूसरी ओर, वादी-प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि विशेष कलेक्टर द्वारा 3 मई को पारित आदेश; 1978, एक्ज़िबिट डी: 1, क्षेत्राधिकार के बिना था और इसी तरह, बाद में 31 जुलाई, 1-978, एक्ज़िबिट पी. 13 को पारित आदेश, जिसमें कालू, अपीलकर्ता को मालिकाना अधिकार प्रदान किया गया था, भी अवैध था और बिना अधिकार क्षेत्र के था . विद्वान वकील के अनुसार, एक बार जब मामला आयुक्त द्वारा विशेष कलेक्टर को भेज दिया गया, तो पूरा मामला फिर से खोला गया और वादी जो प्रेम नाथ जमींदार के उत्तराधिकारी हैं, जिनकी 3 जून 1976 को मृत्यु हो गई थी, वे आंदोलन करने के हकदार थे। कि वे अपने पिता प्रेम नाथ की मृत्यु के बाद छोटे ज़मींदार बन गए थे और' चूँकि अधिशेष घोषित भूमि का उपयोग उसकी मृत्यु तक कभी नहीं किया गया था, प्रतिवादी-अपीलकर्ता, कालू, वाद भूमि के संबंध में आवंटन के किसी भी आदेश या मालिकाना अधिकार का हकदार नहीं था। विद्वान वकील के अनुसार, चूंकि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अधिनियम के तहत नहीं था, इसलिए सिविल कोर्ट को मुकदमे पर विचार करने का अधिकार था। विवाद के समर्थन में, विद्वान वकील ने कुल भूषण बनाम फकीरा (1) और सांता सिंह बनाम पंजाब राज्य (2) पर भरोसा किया।

(4) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा पारित प्रासंगिक आदेशों को भी पढ़ा है।

(5) यह विवादित नहीं है कि आदेश, दिनांक 31 जुलाई 1978, प्रदर्शनी पी. 13, जिसे मुकदमे में चुनौती दी गई है, अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील योग्य था। अधिनियम के तहत समय-समय पर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली सभी दलीलें संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से उठाई जा सकती हैं जिनके पास उचित आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है। सिर्फ इसलिए कि आक्षेपित आदेश, दिनांक 31 जुलाई, 1978, प्रदर्शन पी. 13, और पहले के आदेश, दिनांक 3 मई, 1978, प्रदर्शन डी. 1 में, वादी-प्रतिवादियों की ओर से ली गई कुछ दलीलों को स्वीकार नहीं किया गया था , बिना क्षेत्राधिकार के आदेश नहीं देता। वर्तमान मामले में, यह सफलतापूर्वक तर्क

नहीं दिया जा सकता है कि जब तक आदेश क्षेत्राधिकार के बिना नहीं होता, इसे सिविल मुकदमे के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रेम नाथ के हाथों भूमि अधिशेष घोषित होने के बाद, अधिनियम की धारा 12(3) के प्रावधानों के मद्देनजर यह राज्य सरकार में निहित हो गई थी। एक बार ऐसा पाया गया तो सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित कर दिया गया। इस संबंध में निचली अपीलीय अदालत का दृष्टिकोण गलत था जब उसने देखा कि 30 जुलाई, 1958 से पहले किए गए भूमि के सभी हस्तांतरण कानूनी और वैध थे और उन्हें प्रभावी किया जाना था और यह राज्य में निहित नहीं होगा। अधिनियम के तहत सरकार. इस संबंध में ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण सही था।

(6) परिणामस्वरूप, यह अपील और साथ ही नागरिक पुनरीक्षण याचिका सफल होती है और अनुमति दी जाती है। निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित रिमांड के आदेश को रद्द कर दिया गया है, और ट्रायल कोर्ट द्वारा वादी के मुकदमे को खारिज करने के आदेश को लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना बहाल कर दिया गया है।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अमित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूह, हरियाणा